2008:CGHC:8442-**DB**

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

पीठ : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश।

दांडिक अपील क्रमांक 379/2004

लोकेन्द्र तिवारी @ कौशलेन्द्र

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय विचारार्थ प्रस्तुत

सही/-

श्री सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता

मैं सहमत हूं।

सही/-

मुख्य न्यायाधीश

न्यायाधीश

दिनांक - 17 / 10 / 2008 को निर्णय हेतु नियत

सही/-

श्री सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>पीठ</u> : <u>माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं</u>

<u>माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश।</u>

<u>दांडिक अपील क्रमांक 379/2004</u>

<u>अपीलार्थी</u> लोकेन्द्र तिवारी उर्फ कौशलेन्द्र, आयु लगभग 28 वर्ष, पिता श्री अर्जुन तिवारी, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग, ग्राम: लखराम, निवासी ग्राम तिफरा, थाना सिविल लाइन्स, बिलासपुर, तहसील एवं जिला: बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

<u>प्रत्यर्थी</u> छत्तीसगढ़ शासन द्वारा थाना प्रभारी, सिविल लाइन्स, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत अपील)

उपस्थिति: श्री अशोक वर्मा एवं श्री गजेन्द्र साहू, अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से ।

श्री आशीष शुक्ला, शासकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से

<u>निर्णय</u>

(17/10/2008)

न्यायालय का यह निर्णय <u>न्यायाधीश श्री सुनील कुमार सिन्हा</u> द्वारा निर्णित किया गया:

(1) अपीलार्थी - लोकेन्द्र तिवारी उर्फ कौशलेन्द्र को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपनी पत्नी सरोज बाला की हत्या के आरोप में दोषसिद्ध किया गया है तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सत्र विचारण संख्या 246/2001 में दिनांक 31 मार्च, 2004 को आजीवन कारावास तथा 1,000/- रुपये जुर्माने से दंडित किया तथा जुर्माना न भरने की दशा में 3 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा ।

(2) मृतका - सरोज बाला का विवाह अपीलार्थी के साथ दिनांक 19.04.2000 को हुआ था। वह अपीलार्थी एवं ससुराल वालों के साथ ग्राम सेलर में निवास कर रही थी। अपीलार्थी के राजेश्वरी राज (अ.साक्षी-10) के साथ अवैध संबंध होने के आरोप पर हुए किसी विवाद के कारण, मृतका ने अपीलार्थी का साथ छोड़ दिया और अपने माता-पिता के घर ग्राम मुरुवा चली गई। कुछ समय पश्चात् उनके वैवाहिक संबंध पुनः स्थापित हो गए एवं दोनों पति-पत्नी बिलासपुर के तिफरा स्थित अर्जुन दास वैष्णव के किराए के मकान में अलग रहने लगे। मृतका एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत थी तथा 1,000/- रुपये मासिक आय अर्जित करती थी। मृतका प्रायः अपीलार्थी के साथ राजेश्वरी राज के साथ उसके अवैध संबंधों के आरोप को लेकर विवाद किया करती थी। दिनांक 27.03.2001 को लगभग 08:00 बजे रात को , अपीलार्थी एवं मृतका अपने किराए के आवास में थे। अपीलार्थी नशे की हालत में था तथा उसके पास कुछ और मदिरा भी थी। जब सरोज बाला ने उसे भोजन करने के लिए कहा, तो उसने भोजन करने से इनकार कर दिया तथा कहा कि राजेश्वरी ने उसे घर पर भोजन न करने का निर्देश दिया है। इस पर, अपीलार्थी एवं मृतका के बीच विवाद प्रारंभ हो गया। आरोप यह है कि विवाद के दौरान, अपीलार्थी रसोईघर गया, मिट्टी का तेल लेकर आया और मृतका के शरीर पर उँडेल दिया। तत्पश्चात्, उसने फर्श पर माचिस की तीली रगड़ी और मृतका को आग के हवाले कर दिया। जब हाहाकार मचा तो पड़ोसी श्रीकांत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(अ.सा.-6) एवं अन्य व्यक्ति वहाँ दौड़े आए। अपीलार्थी सहित सभी ने आग बुझाने का प्रयास किया। किंतु तब तक मृतका पहले ही जलने से आघात प्राप्त कर चुकी थी। उसे शासकीय अस्पताल, बिलासपुर में भर्ती कराया गया। अस्पताल प्रशासन द्वारा पुलिस को जलने के मामले की सूचना दी गई तथा दिनांक 28.03.2001 को कार्यकारी मजिस्ट्रेट पी.सी. कोरी (अ.सा.-11) द्वारा मृतका का मृत्यु कालिक कथन (प्रदर्श-पी/12) दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष का आगे का मामला यह है कि दिनांक 27.03.2001 की रात्रि में, मृतका की बड़ी बहन आभा पांडे (अ.सा.-5) अस्पताल पहुंची और मृतका ने उसे मौखिक मृत्यु कालिक कथन दिया। दिनांक 28.03.2001 को लगभग 15:00 बजे, मृतका के कहने पर एक देहाती नालिशी (प्रदर्श-पी/4) भी दर्ज की गई। इसमें भी अपीलार्थी द्वारा मृतका को आग लगाने के आरोप सम्मिलित हैं। मृतका कि दिनांक 31.03.2001 को अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। उसी दिन पंचनामा नोटिस (प्रदर्श-पी/7) देने के पश्चात् मृत्यु समिक्षा (प्रदर्श-पी/8) तैयार की गई और शव को अस्पताल के संबंधित विभाग में शव-परीक्षण हेतु भेजा गया। शव-परीक्षण 2 चिकित्सकों - डॉ. टी.एस. श्याम (अ.सा.-2) एवं डॉ. (श्रीमती) चिपड़े की टीम द्वारा किया गया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/2) तैयार की। शव-परीक्षण करने वाले चिकित्सकों ने मत व्यक्त किया कि मृत्यु का कारण जलने से सेप्टीसीमिक शॉक था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) आगे की विवेचना में, मृतका का चोट विवरण रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/1) प्राप्त किया गया, जिसके अनुसार मृतका को 95% जलने की चोटें आई थीं और उसे बर्न यूनिट में भर्ती करने का निर्देश दिया गया था। अन्वेषण अधिकारी ने घटनास्थल यानी अपीलार्थी के घर से एक नायलॉन नाइटी, एक चादर, मिट्टी के तेल का एक कंटेनर, चूड़ियों के कुछ टुकड़े, एक माचिस की डिब्बी तथा जली व अधजली माचिस की तीलियाँ भी जब्त की थीं, जिसका विवरण जब्ती मेमो (प्रदर्श-पी/15) में

दर्ज है। स्थल नक्शा (प्रदर्श-पी/16) भी तैयार किया गया था। अपीलार्थी - लोकेन्द्र को भी चोटें आई थीं, अतः उसे 29.03.2001 को प्रदर्श-पी/17 के अंतर्गत चिकित्सकीय परीक्षण हेतु भेजा गया तथा रिपोर्ट प्रदर्श-डी/4 प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट के अनुसार, उसे बाएँ हाथ के मध्य भाग पर 5 से.मी. x 5 से.मी. का दाह-घाव तथा दाएँ हाथ की तर्जनी, मध्यमा एवं अनामिका अंगुलियों पर जलने के घाव थे। दाएँ हाथ की तर्जनी अंगुली पर 1 से.मी. x 2 से.मी. तथा 1/2 से.मी. x 1/2 से.मी. आकार के घाव थे। जब्त की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण हेतु एफ.एस.एल. सागर भेजा गया तथा रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/25) प्राप्त हुई। एफ.एस.एल. रिपोर्ट के अनुसार, मृतका के वस्त्रों आदि पर मिट्टी का तेल पाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) नियमित विवेचना पूर्ण होने के उपरांत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर के न्यायालय में अभियोग-पत्र दाखिल किया गया, जिसने मामले को संबंधित सत्र न्यायालय को उपार्पित कर दिया। वहाँ से यह मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को अंतरण पर प्राप्त हुआ , जिन्होंने विचारण करते हुए अपीलार्थी को पूर्वोक्त रूप में दोषसिद्ध किया एवं दंडित किया। हालाँकि, दो अन्य सह-अभियुक्त व्यक्ति अर्थात् अर्जुन तिवारी एवं श्रीमती कमलेश तिवारी (मृतका के ससुराल वाले), जिन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के अंतर्गत आरोप लगाए गए थे, को बरी कर दिया गया।

(5) अपीलार्थी की दोषसिद्धि मुख्य रूप से मृतका द्वारा कार्यकारी मजिस्ट्रेट को दिए गए मृत्यु कालिक कथन पर आधारित है, जिसे मौखिक मृत्यु कालिक कथन एवं मामले की परिस्थितिजन्य पूरक साक्ष्य द्वारा समर्पित है।

(6) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक वर्मा ने तर्क दिया कि लिखित मृत्यु कालिक कथन , सत्यता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तथा यह अविश्वसनीय है। सत्र न्यायालय ने

इस घोषणा को सत्य एवं सिद्ध मानकर विधिक भूल की है। उन्होंने तर्क दिया कि मृत्यु कालिक कथन को स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा परखा जाना चाहिए कि घोषणाकर्ता मानसिक रूप से सचेत थी तथा उसकी स्मृति एवं बुद्धिमत्ता इतनी पर्याप्त थी कि वह जान सके कि वह क्या कर रही है एवं कह रही है। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि जिस चिकित्सक ने मृतका की स्वास्थ्य-योग्यता का प्रमाण-पत्र दिया था, उसे इस मामले में परीक्षित नहीं किया गया है और अभियोजन पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल अनुमान लगाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने कहीं भी यह नहीं कहा कि मृतका मृत्यु कालिक कथन देने के लिए मानसिक रूप से योग्य स्थिति में थी, अतः प्रमाणन का समर्थन करने वाले चिकित्सक के साक्ष्य के अभाव में, यह नहीं कहा जा सकता कि मृतका सचेत थी और वह मृत्यु कालिक कथन (प्रदर्श-पी/12) देने के लिए योग्य थी। उन्होंने श्रीकांत (अ.सा.-6) के साक्ष्य का भी उल्लेख किया, जो कमरे में सबसे पहले पहुँचने वाला व्यक्ति था, जिससे यह प्रकट होता है कि मृतका ने उसे बताया था कि उसने स्वयं अपने ऊपर मिट्टी का तेल उँडेला था और अपीलार्थी को डराने के लिए माचिस की तीली रगड़ी थी, जिसके कारण आग उसकी नाइटी को लग गई। अंत में, उन्होंने तर्क दिया कि यदि मृत्यु कालिक कथन की सामग्री को सिद्ध मान भी लिया जाए, तो ऐसा प्रतीत होता है कि पति और पत्नी के बीच हुई अचानक झड़प और विवाद के दौरान, क्रोध में अपीलार्थी ने अपनी पत्नी पर मिट्टी का तेल उँडेल दिया और विरोध या अलगाव की अपनी मनमानी प्रदर्शित करने के लिए, उसने कमरे के फर्श पर माचिस की तीली रगड़ दी, जिससे मृतका की नायलॉन नाइटी, जो मिट्टी के तेल से सनी हुई थी, आकस्मिक रूप से आग पकड़ ली। अतः, यह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध से कम गंभीर होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) दूसरी ओर, राज्य पक्ष के शासकीय अधिवक्ता श्री आशीष शुक्ला ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(8) हमने पक्षकारों के विद्वत अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा सत्र मामले के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(9) मृत्यु कालिक कथन की सत्यता परखने के सिद्धांत सुस्थापित हैं। चूंकि मृत्यु- कालिक कथन को स्वीकार करने हेतु उसके कर्ता के प्रतिपरीक्षण की आवश्यक नहीं होती, अतः न्यायालय द्वारा उस पर कार्यवाही करने से पूर्व सर्वाधिक सख्त जाँच एवं गहन सावधानी बरती जानी चाहिए। **के.आर. रेड्डी एवं अन्य बनाम द पब्लिक प्रॉसीक्यूटर, एआईआर 1976 एस.सी. 1994** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि हालांकि मृत्युशय्या पर पड़े व्यक्ति के शब्दों को अत्यंत पवित्रता एवं महत्व दिया जाता है, क्योंकि मृत्यु के निकट पहुँचा व्यक्ति झूठ बोलने या किसी निर्दोष व्यक्ति को फँसाने के लिए मामला गढ़ने की संभावना नहीं रखता, तथापि न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होता है कि मृतक का बयान किसी प्रशिक्षण, प्रेरणा अथवा उसकी कल्पना की उपज न हो। यह भी अवलोकन किया गया है कि न्यायालय को यह संतुष्ट होना चाहिए कि मृतक अपने हमलावरों को स्पष्ट रूप से देखने एवं पहचानने का अवसर प्राप्त करने के पश्चात्, बयान देने के लिए पूर्णतः सचेत एवं समर्थ था तथा उसने यह बयान किसी प्रभाव या द्वेष के बिना दिया था। साथ ही, यह भी निर्धारित किया गया है कि एक बार जब न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि मृत्यु कालिक कथन सत्य एवं स्वैच्छिक है, तो वह बिना किसी अतिरिक्त पुष्टिकरण के भी दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त आधार हो सकती है। न्यायालय ने आगे यह अवलोकन किया कि मृत्यु कालिक कथन की विश्वसनीयता की जाँच करने के लिए न्यायालय को उन परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए जैसे कि मरने वाले व्यक्ति के अवलो-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कन का अवसर, उदाहरण के लिए यदि अपराध रात में हुआ हो तो क्या पर्याप्त प्रकाश था; क्या बयान देते समय व्यक्ति की तथ्यों को याद रखने की क्षमता उसके नियंत्रण से बाहर की परि-स्थितियों से प्रभावित नहीं हुई थी; यदि उसे आधिकारिक रिकॉर्ड के अलावा मृत्यु कालिक कथन करने के कई अवसर मिले हों तो क्या उसका बयान पूरी तरह से सुसंगत रहा; और यह कि बयान सबसे पहले अवसर पर दिया गया था तथा वह संबंधित पक्षों द्वारा सिखाए जाने का परिणाम नहीं था।

(10) **<u>सुरजदेव ओझा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य (एआईआर 1979 एससी 1505)</u>** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर कि मृत्यु कालिक कथन एक संक्षिप्त बयान है, इसे खारिज नहीं किया जाना चाहिए। बल्कि, बयान की संक्षिप्तता स्व-यं ही उसकी सत्यता की गारंटी होती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) **<u>नन्हाउराम एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (एआईआर 1988 एससी 912)</u>** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि सामान्यत: न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि मृतक मृत्यु कालिक कथन के लिए मानसिक रूप से सक्षम था या नहीं, चिकि-त्सकीय राय का सहारा लेता है। किन्तु जहाँ प्रत्यक्षदर्शी यह गवाही दे कि मृतक मृत्यु कालिक कथन करने के लिए पूर्णतः सचेत और समर्थ था, वहाँ चिकित्सकीय राय को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती ।

(12) **<u>लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य (2002) 6 एससीसी 710</u>** के मामले में, सर्वोच्च न्या-यालय की संवैधानिक पीठ के समक्ष यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या यदि चिकित्सक का प्रमा-णपत्र केवल यह प्रमाणित करता है कि रोगी चेतनावस्था में था, किन्तु यह प्रमाणित नहीं करता कि मृत्यु कालिक कथन करते समय वह मानसिक रूप से सक्षम था, तो क्या ऐसी घोषणा अमा-

न्य होगी? और क्या मृत्यु कालिक कथन दर्ज करने वाले मजिस्ट्रेट का यह आत्मिक संतोष कि घायल व्यक्ति घोषणा करते समय मानसिक रूप से सक्षम था, विधि की सही व्याख्या मानी जाए-गी? सर्वोच्च न्यायालय ने सम्पूर्ण मामले पर विचार करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया कि सामान्यतया न्यायालय यह सुनिश्चित करने हेतु कि मृतक मृत्यु कालिक कथन करने के लिए मानसिक रूप से सक्षम था या नहीं, चिकित्सकीय राय का सहारा लेता है। किन्तु जहाँ प्रत्यक्षदर्शी यह बताते हैं कि मृतक घोषणा करने के लिए पूर्णतः सचेत और समर्थ था, वहाँ चिकित्सकीय राय प्रभावी नहीं होगी। यह भी नहीं कहा जा सकता कि चूंकि घोषणाकर्ता की मानसिक सक्षमता के सम्बन्ध में चिकित्सक का प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है, अतः मृत्यु कालिक कथन स्वीकार्य नहीं होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि मृत्यु कालिक कथन मौखिक या लिखित किसी भी रूप में हो सकती है। संप्रेषण का कोई भी पर्याप्त माध्यम - चाहे शब्दों द्वारा, सं-केतों द्वारा या अन्य किसी विधि से - पर्याप्त माना जाएगा, बशर्ते कि अभिव्यक्ति सकारात्मक और निश्चित हो। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई विधिक आवश्यकता नहीं है कि मृत्यु कालिक कथन अनिवार्य रूप से मजिस्ट्रेट के समक्ष ही की जाए। साथ ही, जब ऐसा बयान मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाता है, तो उसके लिए कोई विशेष वैधानिक प्रपत्र निर्धारित नहीं है। परिणामतः, ऐसे बयान को कितना साक्ष्यिक मूल्य या भार प्रदान किया जाए, यह पूर्णतः प्रत्येक मामले की तथ्यात्मक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मूल आवश्यकता यह है कि जो व्यक्ति मृत्यु कालिक कथन दर्ज कर रहा है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मृतक उस समय मान-सिक रूप से सक्षम था। यदि मजिस्ट्रेट की गवाही से यह सिद्ध हो जाता है कि घोषणाकर्ता बयान देने के योग्य था - भले ही चिकित्सक द्वारा जाँच न की गई हो - तो ऐसी घोषणा को स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते कि न्यायालय अंततः इसे स्वैच्छिक और सत्य मानते हुए इस पर वि-श्वास करे। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया है कि चिकित्सक द्वारा प्रमाणित करना मूल

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रूप से केवल एक सतर्कता का नियम है और इसलिए घोषणा की स्वैच्छिक एवं सत्य प्रकृति को अन्य तरीकों से भी स्थापित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया कि "यदि यह चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित नहीं है कि घायल व्यक्ति घोषणा करते समय मानसिक रूप से सक्षम था, तो मजिस्ट्रेट के इस व्यक्तिपरक संतोष को स्वीकार करना कि घायल उस समय सक्षम अवस्था में था, अत्यंत जोखिम भरा होगा" - विधि की यह व्याख्या सही नहीं है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चिकित्सकीय प्रमाणपत्र की अनुपस्थिति में भी, यदि मजिस्ट्रेट ने यह संतोषजनक रूप से स्थापित कर दिया है कि घोषणाकर्ता उस समय मानसिक रूप से सक्षम था, तो ऐसी घोषणा को स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते कि न्यायालय अंततः इसे स्वैच्छिक एवं सत्य माने। इस प्रकार, चिकित्सकीय प्रमाणपत्र के अभाव में मजिस्ट्रेट के विवेक को स्वीकार न करने का सिद्धांत विधि का सही सिद्धांत नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) अ.सा. -11, पी.सी. कोरी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, जिन्होंने मृत्यु कालिक कथन दर्ज की थी। उन्होंने बताया कि दिनांक 28.3.2001 को उन्हें संबंधित पुलिस थाने से मृतका की मृत्यु कालिक कथन दर्ज करने के लिए एक मेमो प्राप्त हुआ था। वे लगभग 2:15 बजे दोपहर जिला अस्पताल पहुंचे और मृतका की स्थिति जानने के लिए उपचार कर रहे डॉक्टर से संपर्क किया ताकि यह पता चल सके कि क्या वह मृत्यु कालिक कथन देने के योग्य है। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर से एक प्रमाणपत्र प्राप्त किया जिसमें यह बताया गया था कि मृतका होश में थी और उस समय अपना बयान देने के लिए सक्षम थी। ऐसा प्रमाणपत्र मृत्यु कालिक कथन (प्रद-र्श पी/12) के शीर्ष पर लिखित रूप में उपलब्ध है, जिसमें इसे दोपहर 2:15 बजे दिए जाने का उल्लेख है। इसके पश्चात, मृत्यु कालिक कथन दर्ज की गई जिस पर घोषणाकर्ता (मृतका) के हस्ताक्षर हैं। मजिस्ट्रेट ने भी इस मृत्यु कालिक कथन पर दोपहर 2:25 बजे हस्ताक्षर किए, जिससे

स्पष्ट होता है कि मृतका का बयान दर्ज करने में लगभग 10 मिनट का समय लगा। मृत्यु का-लिक कथन प्रश्नोत्तर के रूप में दर्ज की गई है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट रूप से उन प्रश्नों के बारे में बताया है जो उन्होंने मृतका से क्रमवार पूछे थे और मृतका द्वारा उन प्रश्नों के उत्तर दिये गये । मृत्यु कालिक कथन की सामग्री और कार्यकारी मजिस्ट्रेट के न्यायालयीन कथन से स्पष्ट होता है कि मृतका ने बताया कि उसका पति रोज शराब पीता था। उसका एक नर्स के साथ अवैध संबंध था, जिसके कारण उनमें अक्सर झगड़े होते रहते थे। जब उससे पूछा गया कि घटना कैसे हुई, तो मृतका ने निम्नलिखित तरीके से घोषणा की:

प्रश्न क्र.3 घटना कैसे घटी या कैसे जली

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तर मेरे पति रोज दारु पीते हैं एवं एक नर्स को रख लिये हैं, इस बात को लेकर मेरे पति से झगडा हुआ तो मेरे पति ने मेरे उपर मिट्टी तेल डाल दिया तथा पति ने ही माचिस जमीन पर रगडी पास ही फैला मिट्टी तेल में आग लग गई। नाइलोल की नाइटी पहनी थी अतः आग लग गई ।

प्रश्न क्र.6 अन्य कथन

उत्तर मेरे पति आधा बोतल दारु लिये थे आधा बोतल को मैने फेंक दिया तथा नर्स को रखने के कारण मेरा मेरे पति से झगडा हुआ । जब उसने मिट्टी तेल डाला तो मैने समझा मजाक कर रहे हैं । फिर जैसे ही माचिस को जमीन पर रगड दी और आग लग गई। आग लगने पर चिल्लाने से

आस पास के लोग दौडकर आग बूझाने आऐ। नर्स से अपने पति का साथ छुडाना चाहती हूं । और कुछ नहीं कहना है ।

मृत्यु कालिक कथन और कार्यकारी मजिस्ट्रेट (अ.सा. -11) के साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मृतका की यह घोषणा डॉक्टर द्वारा उसकी मानसिक स्थिति के प्रमाणीकरण के बाद दर्ज की गई थी। यहाँ तक कि यदि इस मामले में डॉक्टर की परीक्षा नहीं भी की गई हो, तो भी सर्वोच्च न्यायालय के **शन्मुगम @ कुलंदैवेलु बनाम तमिलनाडु राज्य (एआईआर 2003 एससी 209)** के मामले में दिए गए निर्णय के आलोक में इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, जिसमें यह अभि-निर्धारित किया गया था कि "जब मृत्यु कालिक कथन मजिस्ट्रेट की इस संतुष्टि के बाद दर्ज की गई हो कि मृतक चेतनावस्था में था और बयान देने की स्थिति में था, तथा डॉक्टर ने भी मृत्यु कालिक कथन पर रोगी की चेतना के संबंध में अनुशंसा की हो, तो केवल इस तथ्य से कि जिस डॉक्टर की उपस्थिति में मृत्यु कालिक कथन दर्ज की गई थी उसकी परीक्षा नहीं की गई, मृत्यु कालिक कथन के साक्ष्यात्मक मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता"। अतः, यदि मजिस्ट्रेट मृ-तक की चेतनावस्था और मृत्यु कालिक कथन देने की उसकी स्थिति के बारे में संतुष्ट था, और मृत्यु कालिक कथन अन्यथा विश्वसनीय पाई जाती है, तो प्रमाणपत्र देने वाले डॉक्टर की परीक्षण नहीं किये जाने से मामले में कोई अंतर नहीं आएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(14) अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री अशोक वर्मा ने शेर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य [(2008) 2 एससीसी (क्रि) 783] के निर्णय का संदर्भ देते हुए तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में कहीं भी यह प्रमाणित नहीं किया कि वह मृतक की मानसिक स्थिति से संतुष्ट था, अतः यह अभियोजन के लिए घातक था। हमने श्री वर्मा द्वारा प्रस्तुत तर्क का सावधा-नीपूर्वक विचार किया है। उक्त मामले में एक से अधिक मृत्यु-घोषणाएँ थीं। सर्वोच्च न्यायालय ने

अवलोकन किया कि "दूसरी मृत्यु कालिक कथन अधिक प्रासंगिक और स्वाभाविक प्रतीत होती है। हालांकि इसमें डॉक्टर का यह प्रमाणपत्र सम्मिलित नहीं है कि घोषणाकर्ता मृत्यु कालिक कथन देने के लिए मानसिक रूप से सक्षम था, किंतु मजिस्ट्रेट जिसने बयान दर्ज किया था, ने प्रमाणित किया था कि वह चेतनावस्था में था और उसे बयान देने में सक्षम था"। मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज की गई ऐसी मृत्यु कालिक कथन को स्वीकार करते हुए और पूर्ण विवेचना के आधार पर उच्च न्यायालय के निर्णय एवं तथ्यों की पुष्टि की गई।

(15) हमारे समक्ष यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या मृत्यु कालिक कथन दर्ज करने वाले मजिस्ट्रेट को यह स्पष्ट शब्दों में कहना आवश्यक है कि घोषणाकर्ता मृत्यु कालिक कथन देने के लिए मानसिक रूप से सक्षम था, अथवा क्या उसे पहले इस प्रकार का प्रमाणपत्र देना चाहिए और फिर मृत्यु कालिक कथन दर्ज करनी चाहिए? और यदि ये दोनों बातें अनुपस्थित हों, तो क्या मृत्यु कालिक कथन को सत्य अथवा सही नहीं माना जाएगा? विभिन्न मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर, जिनमें कुछ में चिकित्सक का प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया था और कुछ में नहीं, यह अंतिम निर्णय दिया गया है कि यदि मृत्यु कालिक कथन दर्ज करने वाला मजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट था कि घोषणाकर्ता चेतनावस्था में था और बयान देने की स्थिति में था, तो यही बात इस आधार पर गलत मृत्यु कालिक कथन दर्ज किए जाने की संभावना को निरस्त करने के लिए पर्याप्त होगी। यदि मजिस्ट्रेट की संतुष्टि को लिखित रूप में दर्ज कर लिया गया हो तो यह अच्छी बात है, किंतु यदि ऐसी संतुष्टि या प्रमाणपत्र लिखित रूप में दर्ज नहीं किया गया हो, तो केवल इस आधार पर मृत्यु कालिक कथन को खारिज नहीं किया जा सकता, यदि अभिलेख पर यह स्थापित हो कि मजिस्ट्रेट मृतक की चेतनावस्था और मानसिक स्थिति से संतुष्ट था तथा उसका यह मत था कि मृतक मृत्यु कालिक कथन करने की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स्थिति में था। हमारा सुविचारित मत है कि इस संबंध में मजिस्ट्रेट की संतुष्टि का अनुमान न्या-यालय द्वारा मृत्यु कालिक कथन के साथ-साथ मजिस्ट्रेट के साक्ष्य का सूक्ष्म परीक्षण करते हुए लगाया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि मजिस्ट्रेट को यह स्पष्ट शब्दों में कहना चाहिए कि घोषणाकर्ता मृत्यु कालिक कथन दर्ज कराने के लिए मानसिक रूप से सक्षम था, अथवा उसे इस प्रकार का कोई प्रमाणपत्र देना चाहिए और उसके बाद ही मृत्यु कालिक कथन दर्ज करनी चाहिए।

(16) वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, डॉक्टर ने सर्वप्रथम मृत्यु कालिक कथन के शीर्ष भाग पर प्रमाणपत्र दिया है और फिर मृत्यु कालिक कथन के अंतिम भाग में उन्होंने यह पुनः अनुशंसित किया है कि "रोगी अपना बयान देते समय होश में थी"। इसके अति-रिक्त, कार्यकारी मजिस्ट्रेट का साक्ष्य यह दर्शाता है कि उन्होंने मृतक से कौन-कौन से प्रश्न पूछे थे और मृतक ने उक्त प्रश्नों के क्या उत्तर दिए थे। मृतका द्वारा मजिस्ट्रेट के प्रश्नों के उत्तर यह स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि वह उन्हें उचित ढंग से जवाब दे रही थी। जब वह कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दे रही थी, तो मजिस्ट्रेट ने आगे के प्रश्न पूछकर घोषणा को अंत तक दर्ज करना जारी रखा, जिनका उसने अपने तरीके से उचित उत्तर दिया। यह दर्शाता है कि जब कार्यकारी मजिस्ट्रेट मृतका के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, तो उसने मृत्यु कालिक कथन को पूरा करना जारी रखा। मजिस्ट्रेट की इस आत्मिक संतुष्टि को उसके द्वारा मृत्यु कालिक कथन दर्ज करने की संपूर्ण प्रक्रिया - शुरुआत से अंत तक - से समझा जा सकता है। यहां तक कि प्रति परीक्षण के दौरान भी कार्यकारी मजिस्ट्रेट से यह एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया कि मृतका मृत्यु कालिक कथन करने की स्थिति में नहीं थी।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(17) उपरोक्त सभी तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में, हमें अ. सा. 11 (कार्यकारी मजिस्ट्रेट) के साक्ष्य अथवा मृत्यु कालिक कथन में कोई दोष नज़र नहीं आता, विशेष रूप से इस आधार पर कि मृत-काघोषणा दर्ज कराने के लिए मानसिक रूप से सक्षम नहीं थी।

(18) मृतका की उपरोक्त मृत्यु कालिक कथन की पुष्टि अ.सा. -5, आभा पांडेय (मृतका की बड़ी बहन) के साक्ष्य से होती है। उन्होंने पैरा-4 में बताया कि जब उन्हें मृतका की दाह की चोट और सरकारी अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी मिली, तो वे उसी रात अस्पताल पहुंची थीं। वहां मृतका ने उन्हें मौखिक मृत्यु कालिक कथन करते हुए बताया कि सर्वप्रथम उनके बीच गाली-गलौज और झगड़ा हुआ था और इसके बाद, जब उसने अपीलार्थी को भोजन करने के लिए कहा, तो अपीलार्थी ने मना कर दिया और कहा कि नर्स राजेश्वरी ने उसे भोजन करने से रोक दि-या है। मृतका ने इस साक्षी (अ.सा. -5) को आगे बताया कि जब उसके पति ने और शराब पीने का प्रयास किया, तो उसने शराब फेंक दी, जिसके परिणामस्वरूप उसके पति ने उस पर मिट्टी का तेल डाला और माचिस की तीली से आग लगा दी। यह घोषणा उसी रात को की गई थी। इस साक्षी प्रति परीक्षण में मृतका द्वारा दी गई इस मौखिक मृत्यु कालिक कथन के संबंध में साक्षी की विश्वसनीयता को चुनौती देने वाला कुछ भी सामने नहीं लाया गया। मृतका की लिखित मृत्यु कालिक कथन की पुष्टि विवेचना अधिकारी द्वारा दिनांक 28.3.2001 को दोपहर 3:00 बजे दर्ज की गई देहाती नालिश (प्रदर्श पी /4) की सामग्री से भी होती है। इसमें भी मृतका ने घटना के बा-रे में पुलिस अधिकारी को बयान दिया था और रिपोर्ट के निचले भाग पर अपने हस्ताक्षर किए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(19) उपरोक्त साक्ष्य के अतिरिक्त, हम यह पाते हैं कि देहाती नालिश और मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज की गई मृत्यु कालिक कथन दोनों पर मृतका के हस्ताक्षर उपस्थित हैं। यदि मृतका चे-तनावस्था में नहीं होती या मृत्यु कालिक कथन देने में असमर्थ होती, तो वह इन दस्तावेजों पर

अपने हस्ताक्षर कैसे कर पाती? अतः, मृतका की चेतनावस्था का तथ्य इन दस्तावेजों की सामग्री से भी प्राप्त किया जा सकता है। मृतका द्वारा तीन अवसरों पर दिए गए सुसंगत बयान यह सिद्ध करते हैं कि मृत्यु कालिक कथन सत्य एवं सही थी, और सत्र न्यायालय ने ऐसी घोषणाओं पर विश्वास कर उचित ही किया था।

(20) श्री अशोक वर्मा ने आगे तर्क दिया है कि अ.सा.-6, श्रीकांत ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि जब उसने मृतका से पूछा कि यह घटना कैसे हुई, तो मृतका ने कहा कि उसने स्वयं अपने पति को डराने के लिए अपने शरीर पर केरोसिन तेल डाला था, और जब उसने कमरे के फर्श पर माचिस की तीली रगड़ी, तो आग लग गई। हम इस साक्षी के इस बयान पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि यह उसके मुख्य परीक्षण के विपरीत है और इस पृष्ठभूमि में भी कि वह मृतका की मौखिक मृत्यु कालिक कथन का साक्षी नहीं था, बल्कि वह घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास करने वाला व्यक्ति था। ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि वह अपीलार्थी का पड़ोसी था, उसने अपीलार्थी का समर्थन करने के लिए यह तथ्य स्वीकार किया। ऊपर वर्णित 3 सुसंगत मृत्यु-घोषणाओं के समक्ष, हम इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण के उक्त अंश को अधिक महत्व नहीं देते।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(21) उपरोक्त विवेचन के आधार पर**,** मृतका द्वारा कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष दी गई मृत्यु कालिक कथन स्वेच्छिक, सत्य एवं सही थी, तथा उक्त मृत्यु कालिक कथन पर उठाए गए ऊपर वर्णित तर्कों के आधार पर की गई आपत्ति को बरकरार नहीं रखा जा सकता।

(22) अब हम श्री वर्मा द्वारा प्रस्तुत अंतिम तर्क पर विचार करेंगे कि अपीलार्थी का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध से कम गंभीर अपराध गठित करता है। इसके लिए, श्री वर्मा ने हमें मृतका द्वारा दी गई लिखित मृत्यु कालिक कथन की साम-

ग्री की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने मृतका द्वारा दिए गए उपर्युक्त दो प्रश्नों (प्रश्न संख्या 3 एवं 6) के उत्तरों का हवाला दिया। इन प्रश्नों के उत्तरों से स्पष्ट होता है कि वास्तव में, अपीलार्थी ने न तो जलती हुई माचिस की तीली मृतका के वस्त्रों पर फेंकी थी और न ही किसी भी प्रकार से उसने मृतका के वस्त्रों में आग लगाई थी। उपरोक्त उत्तरों से यह स्पष्ट है कि मृतका पर केरोसिन तेल डालने के बाद, अपीलार्थी ने कमरे के फर्श पर माचिस की तीली रगड़ी, जहाँ मृतका केरोसिन से भीगी हुई अवस्था में खड़ी थी और कुछ केरोसिन तेल फर्श पर भी फैल गया था। मृतका ने बताया कि जैसे ही अपीलार्थी ने फर्श पर माचिस की तीली रगड़ी, फर्श पर फैले तेल में आग लग गई और फिर उसकी नायलॉन नाइटी भी आग की चपेट में आ गई। मृतका ने स्पष्ट रूप से बताया है कि उपरोक्त तरीके से ही आग उसकी नाइटी में लगी, किंतु उसने यह कभी नहीं कहा कि अपीलार्थी ने जानबूझकर कोई सकारात्मक कार्यवाही (जैसे जलती हुई माचिस फेंकना या सीधे आग लगाना) करके उसे जलाया। यदि हम घटना की पृष्ठभूमि देखें, तो इससे पूर्व पति-पत्नी के बीच झगड़ा चल रहा था, पति नशे की हालत में था, और झगड़े का कारण मृतका के अनुसार अपीलार्थी का राजेश्वरी राज के साथ अवैध संबंध था। झगड़े के दौरान, जब मृतका ने देखा कि अपीलार्थी ने और शराब पी है, तो उसने शराब फेंक दी, जिसके बाद गाली-गलौज और मारपीट शुरू हो गई और अपीलार्थी ने रसोई से केरोसिन तेल लाकर मृतका के शरीर पर डाल दिया। मृत्यु कालिक कथन की संपूर्ण सामग्री और अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों का गहन विचार करने के बाद, हम इस मत हैं कि अपीलार्थी द्वारा किया गया अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध से कम गंभीर है। श्री वर्मा ने तर्क दिया है कि मृत्यु, अपीलार्थी के दुर्घट-नावश या लापरवाह एवं लापरवाहीपूर्ण कार्य का परिणाम थी। हम श्री वर्मा के इस तर्क से सहमत नहीं हैं। "किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने वाला कोई भी कार्य, यदि धारा 299 में वर्णित दो तरीकों से (जानबूझकर या यह जानते हुए कि कार्य से मृत्यु हो सकती है) किया गया हो, तो यह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दुर्घटना या लापरवाही से हुई मृत्यु से भिन्न है, या उन मामलों से भिन्न है जहाँ मृत्यु हो सकती है परंतु अपराध साधारण या गंभीर चोट पहुँचाने का होता है। एक बार यह स्थापित हो जाने पर कि कार्य जानबूझकर किया गया था और दुर्घटना या लापरवाही का परिणाम नहीं था, तो स्पष्ट है कि अपराध धारा 304 के अंतर्गत आता है" [देखें: एआईआर 1964 एससी 1263 (अफराहिम शेख एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य)]।

(23) धारा 304 कोई अपराध गठित नहीं करती है। यह हत्या नहीं होने वाले आपराधिक प्रतिरोध के लिए दंड का प्रावधान करती है। यह उन मामलों में दी जाने वाली दंड के बीच अंतर करती है जहाँ मारने का आशय होने पर कार्य हत्या माना जाता, लेकिन धारा 300 के किसी अपवाद के अंतर्गत आने के कारण हत्या नहीं माना जाता है, और उन मामलों के बीच जहाँ अपराध हत्या नहीं होने वाला आपराधिक प्रतिरोध होता है, अर्थात जहाँ यह ज्ञान होता है कि मृत्यु संभावित परिणाम होगी, लेकिन मृत्यु या मृत्युकारी शारीरिक चोट पहुँचाने का आशय अनुपस्थित होता है। धारा 304 का पहला भाग उस स्थिति में लागू होता है जहां आपराधिक आशय होता है, जबकि दूसरा भाग उस स्थिति में लागू होता है जहां ज्ञान होता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आरोपी को धारा 304 के किसी भी भाग के तहत दोषी ठहराने से पहले, यह देखना आवश्यक है कि उसके द्वारा किसी भी ऐसी परिस्थिति में मृत्यु कारित की गई हो जो धारा 300 के पांच अपवादों में शामिल हैं। इनमें शामिल हैं गंभीर एवं आकस्मिक उत्तेजना के तहत आत्म-नियंत्रण की शक्ति खो देने की स्थिति में कारित मृत्यु, व्यक्ति या संपत्ति के निजी बचाव के अधिकार का सद्भावना से प्रयोग करते हुए कारित मृत्यु, तथा पूर्वचिन्तन के बिना, आवेश में अचानक हुई लड़ाई के दौरान कारित मृत्यु। किसी कार्य को करने से उत्पन्न होने वाले परिणामों का ज्ञान , उस आशय से बिल्कुल भिन्न होता है जो यह दर्शाता है कि एक विशिष्ट परिणाम अवश्य ही आना

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

चाहिए। धारा 304 के पूर्व भाग (पहले भाग) को लागू करने के लिए, आशय का तत्व एक आवश्यक कारक है, जबकि बाद वाले भाग (दूसरे भाग) को लागू करने के लिए, ज्ञान का तत्व एक आवश्यक कारक है। आशय किसी विशेष परिणाम को प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी कार्य को जानबूझकर करना है, जबकि ज्ञान एक ऐसी जागरूकता है जो यह बताती है कि कोई कार्य करने से एक विशेष परिणाम हो सकता है।

(24) यदि हम वर्तमान मामले के साक्ष्य का विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट होता है कि यह मामला किसी दुर्घटना या अपीलार्थी के लापरवाह एवं लापरवाहीपूर्ण कार्य के परिणामस्वरूप हुई मृत्यु का नहीं है। अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के मूल्यांकन से हमें यह पाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा राजेश्वरी राज के साथ कथित अवैध संबंधों के कारण, पति एवं पत्नी के बीच अचानक झगड़ा हुआ, जब पति नशे की हालत में था और जब पत्नी ने पति की शराब फेंक दी, तो उसने गाली-गलौज शुरू कर दिया और अचानक झगड़ा हो गया। इसके परिणामस्वरूप पति ने रसोई से मिट्टी का तेल लाकर मृतका के शरीर पर उड़ेल दिया। मृतका की चूड़ियाँ भी टूटी हुई थीं, जिन्हें घटनास्थल से ज़ब्त किया गया था। इसके बाद, अपीलार्थी ने कमरे के फर्श पर एक माचिस की तीली रगड़ी, जिसके कारण फर्श पर फैला हुआ तेल आग पकड़ लेता है और मृतका के नायलॉन के कपड़े भी आग की चपेट में आ जाते हैं। यह सब दर्शाता है कि पति का आशय अपनी पत्नी की मृत्यु करने का नहीं था, परंतु यह स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि उसे पर्याप्त ज्ञान था कि उसका यह कार्य संभवतः मृत्यु का कारण बन सकता है अथवा ऐसी शारीरिक चोट पहुँचा सकता है जिससे उसकी पत्नी की मृत्यु होने की संभावना थी। यदि पति (अपीलार्थी) का वास्तव में अपनी पत्नी की मृत्यु करने का आशय होता, तो वह सीधे जलती हुई माचिस की तीली को पत्नी के कपड़ों पर फेंक देता या फिर उसकी मृत्यु करने के लिए कोई सीधा कदम उठाता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परंतु, उसने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि अपीलार्थी ने माचिस की तीली जलाने के लिए माचिस की डिब्बी का भी इस्तेमाल नहीं किया, जबकि वह आसानी से उसके पास उपलब्ध थी, क्योंकि माचिस की डिब्बी को भी विवेचना अधिकारी द्वारा घटनास्थल से टूटी हुई चूड़ियों के साथ प्रदर्श-पी/15 के तहत ज़ब्त किया गया था। कोई व्यक्ति जिसके पास माचिस की डिब्बी उपलब्ध हो, वह फर्श पर माचिस की तीली क्यों रगड़ेगा । यह तथ्य अपीलार्थी के कृत्यों में आशय के तत्व को नकारता है। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी को स्वयं अपने हाथों में जलने की चोटें आई थीं क्योंकि उसने आग बुझाने में भाग लिया था और मृतका को अस्पताल भी पहुँचाया था। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, हमारा विचार है कि अपीलार्थी का कार्य भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद के अंतर्गत आता है। चूंकि प्रचलित तथ्यों एवं परिस्थितियों से ज्ञान स्पष्ट रूप से आरोपित किया जा सकता है, अतः अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-2 के अधीन दंड का भागी होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(25) तदनुसार, यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त किया जाता है। इसके स्थान पर, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-2 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है और 7 वर्ष के कठोर कारावास का दंड दिया जाता है। अपीलार्थी दिनांक 29.03.2001 से जेल में है। बिना कहे स्पष्ट है कि उसे उसके द्वारा पहले से ही भुगते गए कारावास की अवधि की कटौती (सेट-ऑफ) का हकदार होगा।

सही/-
मुख्य न्यायाधीश
न्यायाधीश

सही/-
श्री सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Yashpal Singh

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur